झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

सूचना

फोटोग्राफी प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी

कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा फोटोग्राफी प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी का दो दिवसीय आयोजन कराया जा रहा है।

थीम : झारखण्ड के पारम्परिक शिल्प एवं शिल्पी

प्रथम पुरस्कार - (1) - 20,000.00 रू0

द्वितीय पुरस्कार - (1)- 15,000.00 रू0

तृतीय पुरस्कार - (1) - 10,000.00 रू0

सांत्वना पुरस्कार - (3)- 5,000.00 रू0 प्रत्येक

मार्ग निदेश तथा प्रतियोगिता के नियम :-

1) कोई प्रवेश शुल्क नहीं।

2) इस प्रतियोगिता में झारखण्ड राज्य का कोई भी स्थानीय निवासी भाग ले सकता है।

3) प्रतियोगिता सिर्फ रंगीन छाया चित्रों के लिए है।

4) प्रतियोगिता में 15" x 12" से लेकर 16" x 20" तक के आकार के चित्र शामिल किये जायेंगे।

5) प्रतियोगिता में भेजे जाने वाले चित्र न तो पूर्व में पुरस्कृत हों न किसी प्रतियोगिता में शामिल किये गये हों।

6) एक छायाकार अधिकतम 4 चित्र प्रतियोगिता में भेज सकते हैं।

7) मूल चित्रों में डिजिटल मैनिपुलेशन/टेम्परिंग की अनुमति नहीं है। सिर्फ पिक्चर क्वालिटी बढ़ाने की अनुमति होगी।

8) प्रतियोगी चित्रों के साथ इनके हाई-रिजोल्यूशन के सी0डी0 भी अनिवार्यतः जमा करेंगे।

9) प्रत्येक प्रविष्ठि (फोटो) के पीछे छायाकार का नाम, राष्ट्रीयता, पूरा पता, टेलीफोन/मोबाईल नं0, ई-मेल पता साफ अक्षरों में अंकित करना आवश्यक होगा।

10) प्रवेश पत्र निम्नवत् है: (i) नाम (ii) पूरा पता (iii) उम्र (iv) पेशा : (v) राष्ट्रीयता (vi) फोटो खींचने का स्थान/समय तिथि (vii) इस्तेमाल किये गये कैमरे के विषय में संक्षिप्त तकनीकी जानकारी (viii) चित्रों तथा छायाकार के संबंध में संक्षिप्त परिचय (दोनों अधिकतम 100 शब्द में)

11) प्रतियोगिता में भेजे जा रहे चित्र आवेदक की मौलिक कृतियां होने तथा पूर्व में प्रतियोगिता में शामिल होने संबंधी स्वलिखित प्रमाण पत्र।

12) प्रतियोगी प्रत्येक लिफाफे के उपर "फोटोग्राफी प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता" मोटे अक्षरों में लिखकर निदेशक, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, एम0डी0आई0

भवन (तृतीय तल), धुर्वा, रांची : 834004 के पते पर डाक से अथवा हाथों-हाथ दिनांक 17 मार्च 10 तक उपलब्ध करायें। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में खोये या क्षतिग्रस्त प्रविष्टियों की जिम्मेवारी विभाग की नहीं होगी।

13) विजेता प्रविष्ठियां पूर्णतः सरकार की सम्पत्ति होंगी। उनका इस्तेमाल प्रतियोगी सहित अन्य कोई नहीं कर सकेगा।

14) निर्णायकों का निर्णय अंतिम, सर्वमान्य होगा, जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

15) विजेता प्रविष्ठियों को तभी पुरस्कार उपलब्ध कराया जायेगा जब उन चित्रों के डिजिटल इमेजेज प्रतियोगी द्वारा विभाग को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

16) किसी विवाद की स्थिति में विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

निदेशक
कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
एम.डी.आई. भवन, तृतीय तल, धुर्वा
रांची - 834008